

को पेश हो।

28/3/2024

पत्रा. पेश हुई। वकील यात्री व यात्री टपालिका  
 नहीं। यात्री का बाका अर्ध हाजरी अर्ध  
 नकलीय में खारिज किया जा चुका है।  
 अब इस यात्री-पत्र का कोई औचित्य  
 नहीं बह जाता है। अतः यात्री का यात्री-  
 पत्र 212 RTA सबी एन 42 खारिज  
 किया जाना है।  
 पत्रावली प्रमल कुमार होव  
 दालिका सुन्दर हो

